

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-9/2014-
प्रेषक,

/क०, पटना, दिनांक

2014.

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री धीरज पटेल,
मेसर्स सागा पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०,
द्वारा नारायण इन्टरप्राइजेज, चतुर्थ तल,
कमरा नं०-401 A शशि कम्पलेक्स, एकजीविशन रोड, पटना-1

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 60 एवं 62 दिनांक 19.10.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित स्वनिर्मित कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति सं०-60 एवं 62 दिनांक 19.10.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	Methyl Parathion 2% DP	18	Hexaconazole 5% EC
2	Phorate 10% CG	19	2,4-D Ethyl Ester 38% EC
3	Imidachloprid 17.8 SL	20	Butachlor 50% EC
4	Pretilachlor 50% EC	21	Profenophos 50% EC
5	2-4, D Ethyl Ester 20% WP	22	Acephate 75% SP
6	Indoxacarb 14.5% SC	23	Cypermethrin 10% EC
7	Carbofuron 3% CG	24	Triacntanol GR 0.05% min
8	Acetamprid 20% SP	25	Hexaconazole 5% SC
9	Cartap Hydrochloride 50% SP	26	Lambdacyhalothrin 2.5 % EC
10	Met Sulfuuron Methyl 20% WP	27	Triacntanol 0.01 % EW min
11	Quinalphos 1.5% DP	28	Triacntanol 0.05% EC min
12	Propargite 57% EC	29	Lambda cyhalothrin 5% EC
13	Sulfosulfuron 75% WG	30	Lambda cyhalothrin 10% WP
14	Mancozeb 75% WP	31	Chlorpyrifos 50% EC
15	Flubendiamide 39.35% m/msc	32	Sulphur 80% WDG
16	Monocrotophos 36% SL	33	Profenophos 40%+ Cypermethrin 4% eC
17	Quinalphos 25% EC	34	Emamectin Benzoate 5% SG

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स सागा पेस्टीसाइड्स प्रा० लि०, H/O श्री लाल किशोर सिंह, S/O श्री सहदेव प्रसाद सिंह (सहदेव भवन), पोस्ट-बड़ी पहाड़ी, थाना-अगमकुआँ, वार्ड नं०-56, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 37

/कृ0, पटना, दिनांक 03-01-2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(10)
05-1-2015